भारत सरकार, रेल मंत्रालय
रेल भर्ती सेल, मध्य रेल
सीपीएम कंवर्सन कार्यालय बिल्डिंग, पी डी मेलो रोड, वाड़ीबंदर
मुंबई – 400 010

रोज़गार सूचना संख्या आरआरसी/सीआर/ सांस्कृतिक/03/2026 दिनांक 05/11/2026

मध्य रेल पर वर्ष 2026-27 के लिए सांस्कृतिक कोटे के अंतर्गत भर्ती

ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तारीख और समय	**05/11/2026 को 10.00 बजे**
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख और समय	**04/12/2026 को 18.00 बजे**

1. मध्य रेल सांस्कृतिक कोटे के अंतर्गत वर्ष 2026-27 के लिए निम्नलिखित दो सांस्कृतिक विषयों में लेवल–2 के दो पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते है:

क्रम संख्या	**सांस्कृतिक विषयों का नाम**	**पदों कीसंख्या**
01.	थिएटर अभिनेता (पुरुष)	01
02.	हारमोनियम वादक	01

(i) ये पद सभी के लिए खुले हैं, समुदाय विशेष से असंबद्ध होने से किसी भी जाति के लिए कोई आरक्षण नहीं है। इसके अलावा, केवल **लिखित परीक्षा/सीबीटी/टैब मोड** में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को ही प्रायोगिक प्रदर्शन के लिए बुलाया जाएगा।

(ii) यदि दो सांस्कृतिक विषयों में से किसी एक के लिए उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, तो इसके बदले ऊपर उल्लिखित अन्य विषय के उपयुक्त उम्मीदवार का चयन किया जाएगा, चाहे वह किसी भी लिंग के हो।

(iii) नीचे पैरा 2 (ख) के अनुसार कोई व्यावसायिक योग्यता नहीं रखने वाले उम्मीदवारों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

1.1 रेलवे सेवाओं में नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को:

(क) भारत का नागरिक या
(ख) नेपाल का नागरिक या
(ग) भूटान का नागरिक या
(घ) एक तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया था या
(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका के पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, युगांडा,संयुक्त गणराज्य, तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, ज़ैरे,इथियोपिया और वियतनाम से आया हो, होना चाहिए।

बशर्ते कि उपरोक्त श्रेणियों (ख), (ग), (घ) और (ङ) से संबंधित उम्मीदवार वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

1.2 जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक है, उसे अनंतिम रूप से परीक्षा में शामिल किया जा सकता है, हालांकि,भारत सरकार द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र /दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना होगा।

2 पात्रता शर्तें

क) शैक्षणिक योग्यता	
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या उसके समकक्ष परीक्षा से 12वीं (+2 स्तर) पास की हो, जिसमें कुल मिलाकर कम से कम 50% अंक हों। SC/ST/पूर्व सैनिक/PwBD (दिव्यांग) उम्मीदवारों और 12वीं (+2 स्तर) से उच्च योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों के लिए 50% अंकों की शर्त अनिवार्य नहीं है। अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन और कोर्स अपरेंटिसशिप अधिनियम के तहत पूर्ण पाठयक्रम उत्तीर्ण किया हो अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण और एनसीवीटी/एससीवीटी द्वारा स्वीकृत आईटीआई उत्तीर्ण।	
टिप्पणी: जिन व्यक्तियों को क्लर्क–कम–टाइपिस्ट की श्रेणी में नियुक्त किया जाएगा, उन्हें नियुक्ति की तारीख से दो वर्षों की अवधि के भीतर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट अथवा हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की टंकण दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और इस अवधि तक उनकी नियुक्ति अस्थायी रहेगी।	
ख) आवश्यक व्यावसायिक योग्यता	
(i) थिएटर अभिनेता (पुरुष)	अभिनय/नाट्य कला में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
(ii) हारमोनियम वादक	सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से हारमोनियम में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र होना चाहिए।

आवश्यक व्यावसायिक योग्यता के लिए विशेष नोट:- उम्मीदवारों को एक्टिंग/ड्रामा या हारमोनियम (जो भी लागू हो) में अपनी डिग्री/डिप्लोमा सर्टिफिकेट के साथ-साथ, उस संस्थान द्वारा जारी किया गया एक प्रमाण-पत्र भी अपलोड करना होगा, जो यह पुष्टि करे कि सांस्कृतिक डिप्लोमा/डिग्री जारी करने वाला संस्थान केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, या संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम के तहत गठित सरकारी निकायों द्वारा संचालित है।

यदि कोई उम्मीदवार उक्त प्रमाण-पत्र अपलोड नहीं कर पाता है, तो उसे अन्य शर्तों को पूरा करने की शर्त पर, भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों के लिए अस्थायी रूप से पात्र माना जाएगा और उसे लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। हालाँकि, ऐसे उम्मीदवारों को 'दस्तावेज़ सत्यापन' के दिन वह प्रमाण-पत्र जमा करना होगा। यदि वे 'दस्तावेज़ सत्यापन' के दिन यह प्रमाण-पत्र जमा नहीं कर पाते हैं, तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

C) वांछनीय योग्यता	
(i) थिएटर अभिनेता (पुरुष)	1). स्क्रिप्ट राइटिंग और डायरेक्शन में दक्षता रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। 2). एक्टिंग/स्क्रिप्ट राइटिंग/डायरेक्शन में तीन साल का अनुभव होना चाहिए। प्राथमिकता उन्हें दी जाएगी जिनका अनुभव दूरदर्शन/ऑल इंडिया रेडियो/किसी प्रतिष्ठित या राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल/या किसी प्रतिष्ठित थिएटर ग्रुप में रहा हो (इसके लिए जरूरी दस्तावेजी प्रमाण देने होंगे)। 3). राज्य/राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में एक्टिंग/स्क्रिप्ट राइटिंग/डायरेक्शन के क्षेत्र में व्यक्तिगत पुरस्कार जीतने का प्रमाण पत्र। 4). राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय थिएटर फेस्टिवल्स में भाग लेने के प्रमाण पत्र। 5). लाइट डिजाइनिंग/लाइट ऑपरेटिंग/सेट डिजाइनिंग की जानकारी होने पर अतिरिक्त लाभ मिलेगा। (*) प्रतिष्ठित थिएटर ग्रुप से तात्पर्य ऐसे ग्रुप से है जिसने राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों के साथ विभिन्न मंचों पर प्रदर्शन किया हो, या जिसमें ऐसे कलाकार शामिल हों जिन्होंने ऑल इंडिया रेडियो, टेलीविजन या फिल्म इंडस्ट्री में काम किया हो। हालाँकि, रेलवे के पास किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
(ii) हारमोनियम वादक	1. हारमोनियम बजाने का तीन साल का अनुभव, जिसे दूरदर्शन/ऑल इंडिया रेडियो/किसी प्रतिष्ठित टेलीविजन म्यूजिकल ग्रुप या चैनल में काम करने का अनुभव हो (इसके लिए जरूरी दस्तावेजी प्रमाण देने होंगे)। 2. राज्य या राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं/कार्यक्रमों में हारमोनियम वादन के लिए कोई व्यक्तिगत पुरस्कार या प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो। 3. 'लहरा' बजाने या शास्त्रीय/वाद्य संगीत की एकल प्रस्तुतियों में संगत करने का अनुभव/महारत होने पर अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। 4. कीबोर्ड पर हिंदी गाने (फिल्मी/अर्ध-शास्त्रीय) बजाने में दक्षता, साथ ही किसी प्रतिष्ठित संगीत समूह (*) से प्राप्त आवश्यक प्रमाण-पत्र। 'प्रतिष्ठित म्यूजिकल ग्रुप' का अर्थ है - ऐसा समूह जिसने राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों के साथ विभिन्न मंचों पर प्रस्तुति दी हो, या ऐसा समूह जिसमें ऐसे कलाकार शामिल हों जिन्होंने ऑल इंडिया रेडियो (AIR), टेलीविजन या फिल्म उद्योग में काम किया हो। हालाँकि, रेलवे के पास किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

2.1 अभ्यर्थियों को आवेदन में निम्नलिखित विवरण का उल्लेख करना चाहिए:-

(i) AIR और दूरदर्शन में ग्रेड 'A' और ग्रेड 'B' कलाकार/स्कॉलरशिप के रूप में भागीदारी।
(ii) अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं/महोत्सवों/कार्यशालाओं में भागीदारी।
(iii) राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं/महोत्सवों/कार्यशालाओं में भागीदारी।
(iv) राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं/संगोष्ठियों/महोत्सवों/कार्यशालाओं में भागीदारी।
(v) ज़िला स्तर की प्रतियोगिताओं/महोत्सवों/कार्यशालाओं में भागीदारी।

पात्र उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन भरते समय उपरोक्त वांछनीय योग्यता का विवरण प्रस्तुत करेंगे।

3. आयु सीमा

3.1 न्यूनतम आयु सीमा और अधिकतम आयु सीमा की गणना **01/01/2027** को की जाएगी।अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के पर अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट है :

3.2 अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के लिए 05 वर्ष।

3.3 केंद्र सरकार के प्रारूप में अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष।

3.4 भूतपूर्व सैनिकों के लिए रक्षा + 3 वर्षों में प्रदान की गई सेवा की सीमा तक, बशर्ते उन्होंने सत्यापन के बाद 6 महीने से अधिक की सेवा की हो।

3.5 विकलांग व्यक्ति: अनारक्षित विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए 10 वर्ष, अन्यपिछड़ा वर्ग विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए 13 वर्ष और अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए 15 वर्ष।

3.6 विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और महिलाओं के मामले में अधिकतम आयु सीमा न्यायिक रूप से पति से अलग हो गई है, लेकिन पुनर्विवाह नहीं किया गया है, अनारक्षित के लिए 35 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 38 वर्ष और अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष होगी।

3.7 रेलवे कैंटिन, सहकारी समितियों और संस्थानों जैसे रेल संगठन के अर्ध-प्रशासनिक कार्यालयों में काम करने वालों के लिए, अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान कर्मचारी के दवारा की गई सेवा के कार्यकाल के बराबर होगी, जो अधिकतम 5 वर्ष के अधीन होगी।

3.8 प्रतिस्थापन (Substitute) के लिए, ऊपरी आयु सीमा UR उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष, SC/ST उम्मीदवारों के लिए 45 वर्ष और OBC उम्मीदवारों के लिए 43 वर्ष होगी, बशर्ते उन्होंने कम से कम 03 वर्षों की (निरंतर) सेवा पूरी कर ली हो।

3.9 उम्मीदवारों के जन्म की तारीख नीचे दी गई तारीखों के बीच होनी चाहिए (दोनों दिन शामिल हैं)।

आयु समूह	18 से 30 (अनारक्षित के लिए) अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के लिए 05 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष		
	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति
अधिकतम आयु सीमा	**01/01/1997**	**01/01/1994**	**01/01/1992**
न्यूनतम आयु सीमा	**01/01/2009**		
टिप्पणी	उपर्युक्त दर्शाए गए पैरा 3.5 से 3.8 के अनुसार सूचीबद्ध श्रेणियों के लिए आयु सीमा में छूट लागू होगी।		

4. परीक्षा शुल्क

(i)	सभी उम्मीदवारों के लिए, नीचे उल्लिखित उप-अनुच्छेद (ii) में उल्लिखित उम्मीदवारों को छोड़कर:	रु.500/- रुपये (मात्र पाँच सौ रुपये) का शुल्क, जिसमें अधिसूचना के अनुसार पात्र पाए जाने वाले और लिखित परीक्षा में वास्तव में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को बैंक शुल्क काटने के बाद 400/- रुपये (मात्र चार सौ रुपये) वापस करने का प्रावधान है। इस श्रेणी के उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता की पूरी जाँच कर लेनी चाहिए। जो उम्मीदवार अपात्र हैं, लेकिन फिर भी आवेदन करते हैं, उनका शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
(ii)	(ii) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पूर्व सैनिक / विकलांग व्यक्ति / महिला उम्मीदवारों / आर्थिक पिछड़े वर्ग (ईडब्ल्यूएस)** के लिए:	रु.250/- (मात्र दो सौ पचास रुपये) का शुल्क, अधिसूचना के अनुसार पात्र पाए जाने वाले और लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को बैंक शुल्क काटने के बाद वापस कर दिया जाएगा। इस श्रेणी के उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता की पूरी जाँच कर लेनी चाहिए। जो उम्मीदवार अपात्र हैं, लेकिन फिर भी आवेदन करते हैं, उन्हें शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

4.1 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के भाग के रूप में शुल्क का भुगतान पेमेंट गेटवे के माध्यम से करना होगा।

4.2 आवेदन पत्र में विवरण की सत्यता सुनिश्चित करने के बाद, उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन के साथ एकीकृत भुगतान पेमेंट गेटवे के माध्यम से शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। इसके बाद कोई परिवर्तन/संपादन की अनुमति नहीं होगी।

4.3 भुगतान डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / इंटरनेट बैंकिंग आदि का उपयोग करके किया जा सकता है, कंप्यूटर स्क्रीन पर पूछी गई जानकारी प्रदान कर ऑनलाइन भुगतान के लिए बैंक द्वारा लगाए गए लेनदेन शुल्क, यदि कोई हो, उम्मीदवारों द्वारा वहन किया जाएगा।

4.4 लेनदेन की सफलतापूर्वक पूर्णता पर, उम्मीदवार द्वारा दर्ज की गई तारीख के साथ ई-रसीद जनरेट होगी जिसे उम्मीदवार द्वारा सहेज/ प्रिंट ले कर रखना चाहिए।

4.5 यदि ऑनलाइन लेनदेन सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं होता है, तो कृपया फिर से ऑनलाइन भुगतान करें।

5. परीक्षा शुल्क में छूट

5(क) परीक्षा शुल्क से छूट/वापसी का दावा करने के लिए, अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय 'स्व-घोषणा'पत्र प्रस्तुत करना होगा, जैसा कि अनुलग्नक-'क' में उल्लेखित है।
*अल्पसंख्यक का अर्थ है मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध और ज़ोरोस्ट्रियन (पारसी)।
दस्तावेज़ सत्यापन के समय परीक्षा शुल्क से छूट का दावा करने वाले ऐसे उम्मीदवारों को गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर 'अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा' शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि वह उपरोक्त अल्पसंख्यक समुदाय में से किसी से संबंधित हैं।

5(ख) आर्थिक रूप से पिछड़ेवर्ग (ईबीसी) के उम्मीदवार का अर्थ है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 50,000/ से कम है । निम्नलिखित प्राधिकारी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) की पहचान के उद्देश्य से आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत हैं:

(i) जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार के स्तर तक कोई अन्य राजस्व अधिकारी।

(ii) अपने निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए लोक सभा के मौजूदा संसद सदस्य।

(iii) बीपीएल कार्ड या किसी मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम या रेलवे द्वारा जारी इज्जत एमएसटी(IZZAT MST)के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी कोई अन्य प्रमाण पत्र।

(iv) केंद्रीय मंत्री देश में कहीं से भी किसी व्यक्ति के लिए सिफारिश कर सकते हैं।

(v) उस जिले के व्यक्तियों के लिए राज्य सभा के मौजूदा संसद सदस्य जहां ये सांसद सामान्य रूप से रहते हैं।

ऊपर उल्लिखित अधिकारियों द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र अनुबंध–'बी' में होना चाहिए, जिसे दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

6. भर्ती प्रक्रिया

6.1 भर्ती प्रक्रिया में **लिखित परीक्षा/CBT/टैब मोड** और उसके बाद प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन (व्यावहारिक प्रदर्शन) शामिल होगा। योग्य उम्मीदवारों को **लिखित परीक्षा/CBT/टैब मोड** के लिए बुलाया जाएगा। जो उम्मीदवार **लिखित परीक्षा/CBT** पास कर लेंगे, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (दस्तावेज़ सत्यापन) और उसके बाद प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन के लिए बुलाया जाएगा। जो उम्मीदवार सभी तरह से योग्य पाए जाएंगे, उन पर निम्नलिखित आधार पर विचार किया जाएगा।

लिखित परीक्षा/CBT/टैब मोड में वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव) प्रकार के प्रश्न होंगे (प्रैक्टिकल प्रदर्शन के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 40% अंक आवश्यक हैं)। ये प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे, जो सामान्य जागरूकता, गणित, मानसिक क्षमता और अधिसूचित सांस्कृतिक विषय से संबंधित होंगे। **वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में नकारात्मक अंकन होगा तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न के लिए आबंटित अंकों का 1/3 भाग काट लिया जाएगा।**	**50** अंक
प्रायोगिक प्रदर्शन के साथ संबंधित क्षेत्र में प्रतिभा परीक्षण	**35** अंक
प्रशंसापत्र/प्रमाणपत्र/पुरस्कार द्वारा प्रतिभा की पुष्टि	**15** अंक
कुल:	**100** अंक

टिप्पणी(i): **लिखित परीक्षा/सीबीटी/टैब मोड** के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को प्रायोगिक प्रदर्शन में उपस्थिति के लिए तैयार रहना होगा।

6.2 **लिखित परीक्षा/सीबीटी/टैब मोड**,प्रायोगिक प्रदर्शन/दस्तावेज़ सत्यापन की तारीख, समय और स्थान आरआरसी द्वारा तय किया जाएगा और योग्य उम्मीदवारों को उचित समय पर सूचित किया जाएगा। **लिखित परीक्षा/सीबीटी/टैब मोड**/प्रायोगिक प्रदर्शन / दस्तावेज़ सत्यापन के स्थगन के लिए अनुरोध किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

6.3 प्रश्न पत्र 50 वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होंगे।प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी में होंगे।

6.4 **लिखित परीक्षा/सीबीटी/टैब मोड** की अवधि 60 मिनट होगी।

6.5 आरआरसी अपने विवेकाधिकार पर, यदि आवश्यकता हुआ तो, सभी या सीमित संख्या के उम्मीदवारों के लिए **लिखित परीक्षा/सीबीटी/टैब मोड** आयोजित कर सकता है।

6.6 उम्मीदवारों को ई-कॉल लेटर पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। निर्देशों का पालन न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

6.7 कोई साक्षात्कार नहीं होगा।

7. ऑनलाइन आवेदन

7.1 उम्मीदवारों को www.rrccr.comपर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत दिशानिर्देशों का पालन करें।

7.2 उम्मीदवारों को सांस्कृतिक कोटा भर्ती के लिए आरआरसी/मध्य रेल की वेबसाइट www.rrccr.com पर जाकर लॉग ऑन कर ऑनलाइन आवेदन पर व्यक्तिगत विवरण/बायोडाटा सावधानीपूर्वक सही जानकारी के साथ भरना होगा।

टिप्पणी- I: अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड होना चाहिए। व्यक्तिगत जानकारी भरते समय उम्मीदवारों को 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर भरना होगा। जिन उम्मीदवारों के पास आधार संख्या नहीं है और उन्होंने आधार के लिए नामांकन किया है लेकिन उन्हें आधार कार्ड नहीं मिला है, वे आधार नामांकन पर्ची पर मुद्रित 28 अंकों की आधार नामांकन आईडी दर्ज कर सकते हैं।

यह प्रावधान जम्मू और कश्मीर, मेघालय और असम राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उम्मीदवारों पर लागू है। इन राज्यों के आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र, अपना मतदाता पहचान पत्र, वैध पासपोर्ट नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर या ऑनलाइन आवेदन के समय किसी अन्य वैध सरकारी पहचान पत्र में प्रवेश कर सकते हैं।

उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय ऊपर उल्लिखित मूल आधार कार्ड या दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

टिप्पणी- II: उम्मीदवारों की पात्रता आवेदन में उम्मीद्वारों द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर अनंतिम होगी। अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तारीख आदि। उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता,आयु,चिकित्सा मानकों आदि की आवश्यकताओं को पढ़ना होगा। दस्तावेज सत्यापन के समय उनकी शैक्षणिक योग्यता और बुनियादी पात्रता मानदंडो में प्रमाण-पत्र /दस्तावेज मांगे जाएंगे। यदि आवेदन में किया गया कोई भी दावा दिए गए प्रमाणपत्रों/दस्तावेजो द्वारा प्रमाणित नहीं होता है, तो उम्मीद्वार की उम्मीद्वारी रद्द कर दी जाएगी। प्रमाणपत्रों/दस्तावेजो की जांच के बाद यदि उम्मीदवार ने अपना नाम बदला है तो दस्तावेज़ सत्यापन के समय राजपत्र अधिसूचना या लागू कोई अन्य कानूनी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसे उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में अपना नाम बदलना चाहिए। हालांकि, अन्य विवरण एचएससी / एसएससी या समकक्ष प्रमाण पत्र के साथ मेल खाना चाहिए। इस तरह के बदलाव की तारीख आवेदन जमा करने की तारीख से पहले होनी चाहिए।

टिप्पणी- III: उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन में अपने वर्तमान सक्रिय मोबाइल नंबर और वैध ई-मेल आईडी को इंगित करें और पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान उन्हें सक्रिय रखें क्योंकि आरआरसी के सभी महत्वपूर्ण संदेश ईमेल/एसएमएस द्वारा भेजे जाएंगे जिन्हें माना जाएगा कि उम्मीदवारों द्वारा पढ़ा और समझा गया है।

7.3 उम्मीदवार पात्रता मापदंडों के अनुसार जैसे कि नाम/पिता का नाम/समुदाय/फोटो (फेस)/शैक्षिक और अथवा तकनीकी अर्हता आदि के साथ अथवा विभिन्न ई-मेल आईडी/मोबाइल नंबर के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास करता है तो सूचित किया जाता है कि एक से अधिक आवेदन करने पर ऐसे सभी आवेदनों को सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

7.4 ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय, प्रत्येक आवेदक को एक पंजीकरण खाता आईडी जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आरआरसी भर्ती प्रक्रिया/पत्राचार के आगे के चरणों के लिए अपनी पंजीकरण आईडी को सक्रिय / नोट करें।

टिप्पणी– । अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए, उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख से कुछ दिन पहले ऑनलाइन आवेदन जमा करें ताकि अंतिम समय के दौरान इंटरनेट पर भारी लोड या वेबसाइट जाम के कारण आरआरसी की वेबसाइट पर लॉग इन करने में संभावित असमर्थता/विफलता से बचा जा सके।

टिप्पणी– ॥ उपरोक्त कारणों या किसी अन्य कारण से अंतिम दिन के भीतर अपना आवेदन जमा नहीं कर पाने वाले उम्मीदवारों के लिए आरआरसी कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है।

7.5 उम्मीदवार को किसी भी आवेदन प्रिंटआउट या प्रमाण पत्र या प्रतियां डाक द्वारा आरआरसी को भेजने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पर केवल ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर ही विचार किया जाएगा, जो बाद की तारीख में सत्यापन के अधीन है। प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन में भरे गए विवरण में किसी भी प्रकार का विचलन पाए जाने पर किसी भी चरण में उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

7.6 उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन का प्रिंटआउट ले लें जिसे दस्तावेज़ सत्यापन और प्रायोगिक प्रदर्शन के समय प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. <u>स्कैन की गई फोटोग्राफ/ फोटोग्राफ की सॉफ्ट कॉपी</u>

उम्मीदवारों को अपना रंगीन पासपोर्ट आकार फोटोग्राफ (आकार 3.5 सेमी x 3.5 सेमी, जो रंगीन, जेपीजी/जेपीईजी प्रारूप में, 100 डीपीआई, फ़ाइल का आकार 20 केबी और 70 केबी के बीच होना चाहिए, बिना टोपी और बिना धूप के चश्मे के उम्मीदवार के सामने के स्पष्ट दृश्य के साथ में,जो कि आवेदन की तारीख से तीन महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए) अपलोड करना आवश्यक है। उम्मीदवार ध्यान दें कि आरआरसी, किसी भी स्तर पर, पुरानी/अस्पष्ट तस्वीर अपलोड करने या आवेदन पत्र में अपलोड की गई तस्वीर और वास्तविक भौतिक तस्वीर के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर होने पर आवेदन को अस्वीकार कर सकता है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे दस्तावेज़ सत्यापन के समय लाने के लिए उसी तस्वीर की जो अपलोड की गई है की दो अतिरिक्त प्रतियां अपने साथ तैयार रखें।

9. <u>स्कैन किए गए हस्ताक्षर/हस्ताक्षर की छवि की सॉफ्ट कॉपी</u>

उम्मीदवारों को अपने हस्ताक्षर (आकार 3.5 सेमी x 2.5 सेमी, जेपीजी / जेपीईजी प्रारूप, 100 डीपीआई (फ़ाइल का आकार 20 केबी और 30 केबी के बीच होना चाहिए) अपलोड करना आवश्यक है।स्कैन किए गए सभी दस्तावेजो पर हस्ताक्षर हिंदी या अंग्रेजी में रनिंग हस्तलिखित होना चाहिए ध्यान रेह कि यह **<u>ब्लॉक/कैपिटल अक्षरों</u>** में या **<u>असंबद्ध अक्षरों</u>** में न हो।

10. <u>अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज</u>

उम्मीदवारों को निम्नलिखित सुपाठ्य दस्तावेज अपलोड करने होंगे:

10.1 अधिसूचना के पैरा 2 (क) में निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, अंक पत्र/प्रमाण पत्र या इसके समकक्ष की स्कैन की गई प्रति।

10.2 अधिसूचना के पैरा 2 (ख) में निर्धारित व्यावसायिक योग्यता प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति।

10.3 जन्म तारीख के प्रमाण के लिए प्रमाण पत्र (कक्षा 10 या इसके समकक्ष प्रमाण पत्र या मार्क शीट जन्म तारीख या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तारीख दर्शाई गई हो)।

10.4 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति, जहां भी लागू हो।

10.5 आवश्यक व्यावसायिक योग्यता के लिए विशेष नोट में बताए गए प्रमाण-पत्र।

11. लिखित परीक्षा/सीबीटी/टैबमोड के लिए हॉल टिकट (ई-कॉल लेटर)

11.1 उम्मीदवार की पात्रता स्थिति आरआरसी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीदवार आरआरसी की वेबसाइट से अपनी पात्रता का सत्यापन कर सकते हैं। सभी पात्र उम्मीदवारों को एसएमएस और ई-मेल भेजा जाएगा। उम्मीदवार को अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल भर्ती प्रक्रिया की समाप्ति तक सक्रिय रखना होगा। आरआरसी किसी भी स्तर पर मोबाइल नंबर और ई-मेल पते में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा।

11.2 पात्र उम्मीदवार को ई-कॉल लेटर (स्क्राइब के लिए ई-कॉल लेटर के साथ, जहां भी लागू हो) आरआरसी की वेबसाइट पर **लिखित परीक्षा/सीबीटी/टैब मोड** की तारीख से लगभग सात दिन पहले डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होगा। उम्मीदवार को कोई भी प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। हालांकि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन उम्मीदवारों के मामले में जिन्होंने मुक्त यात्रा प्राधिकरण (द्वितीय श्रेणी रेलवे पास) का लाभ उठाने के लिए अपना वैधता समुदाय प्रमाण पत्र अपलोड किया है, **लिखित परीक्षा/सीबीटी/टैब मोड** के लिए ई-कॉल लेटर में मुफ्त यात्रा प्राधिकरण के लिए उम्मीदवारों को ई-कॉल लेटर और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने पर टिकट बुक करने के लिए अनुमति दी जाएगी । यात्रा के दौरान, इन उम्मीदवारों के पास यात्रा करते समय वास्तविकता के सत्यापन के लिए मूल एससी / एसटी प्रमाण पत्र और साथ में पहचान का एक मूल निर्धारित प्रमाण होना चाहिए, ऐसा न करने पर उन्हें बिना टिकट यात्रा के माना जाएगा और तदनुसार शुल्क लिया जाएगा।

11.3 उम्मीदवार को परीक्षा हॉल में प्रवेश करते समय अपने ई-कॉल लेटर के साथ वैध फोटो पहचान पत्र (जैसे मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, ई-आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, उम्मीदवार यदि एक सरकारी कर्मचारी है तो अपने नियोक्ता द्वारा जारी पहचान पत्र) लाना होगा। ऐसा न करने पर उम्मीदवारों को **लिखित परीक्षा/सीबीटी/टैब मोड** में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

11.4 उम्मीदवारों को **लिखित परीक्षा/सीबीटी/टैब मोड** में उपस्थित होने के लिए एक रंगीन पासपोर्ट आकार फोटो (आकार 3.5 सेमी x 3.5 सेमी) भी लाना होगा, जिसमें बिना टोपी और धूप के चश्मे के उम्मीदवार का सामने का दृश्य स्पष्ट हो (पैरा 8 देखें)।

11.5 आरआरसी अनंतिम रूप से पात्र उम्मीदवारों को आवंटित परीक्षा केंद्र, तारीख और सत्र में किसी भी परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा।

11.6 उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि **लिखित परीक्षा/सीबीटी/टैब मोड** के लिए आते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ उनके साथ हो:

i) ई-कॉल पत्र।
ii) आधार कार्ड या फोटो आईडी जैसा कि ऊपर पैरा 11.3 में उल्लेखित है।
iii) एक पासपोर्ट आकार का फोटो।
iv) मूल एससी/एसटी/ओबीसी प्रमाण पत्र, जहां भी लागू हो।

12. सहायता डेस्क

ऑनलाइन आवेदन के सबमिशन और प्रिंटिंग में किसी भी समस्या के लिए, उम्मीदवार ई-मेल के माध्यम से cultural@rrccr.com पर प्रश्न भेज सकते हैं

13.महत्वपूर्ण निर्देश

13.1 - उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे इस पद/परीक्षा के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूरी करते हैं। इस अधिसूचना में अधिसूचित पद के लिए उम्मीदवारों की पात्रता उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर तय की जाएगी। यदि भर्ती के किसी

भी चरण के दौरान या उसके बाद भी यदि बाद भी यह पाया जाता है कि उम्मीदवार के बारे में कोई भी जानकारी झूठी/गलत है या यदि उम्मीदवार ने कोई प्रासंगिक जानकारी छिपाई है या उम्मीदवार पद के लिए पात्रता मानदंडो को पूरा नहीं करता है, तो उसकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी।

13.2 व्यावहारिक प्रदर्शन के दिन आयु, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र और सांस्कृतिक अनुशासन आदि के मूल दस्तावेजों को साथ लाना अनिवार्य है, अन्यथा उम्मीदवार को प्रायोगिक प्रदर्शन में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अंग्रेजी या हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं में प्रमाण पत्रों के साथ एक प्रमाणित अनुवाद अंग्रेजी/हिंदी में होना चाहिए। सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी स्वयं प्रमाणित होनी चाहिए। **लिखित परीक्षा/सीबीटी/टैब मोड**/प्रायोगिक प्रदर्शन में उपस्थित होने के लिए कोई टीए/डीए/आवास नहीं दिया जाएगा। आवेदकों को सांस्कृतिक व्यवस्था से संबंधित अपने स्वयं के किट लाने होंगे और चार पासपोर्ट आकार की तस्वीरें भी लानी होंगी। उन्हें प्रायोगिक प्रदर्शन के दौरान 2-3 दिन रहने की आवश्यकता भी हो सकती है, जिसके लिए उन्हें अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी होगी। रेल प्रशासन के पास किसी भी तारीख/स्थान को तय करने या प्रायोगिक प्रदर्शनको स्थगित करने या अप्रत्याशित कारणों से रद्द करने के सभी अधिकार सुरक्षित हैं, जिसके खिलाफ कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

13.3 आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों को अल्प सूचना पर **लिखित परीक्षा/सीबीटी/टैब मोड**, प्रायोगिक प्रदर्शन आदि के लिए उपस्थित होने के लिए तैयार रहना चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को मध्य रेल पर कहीं पर भी नियुक्ति दी जाएगी।

13.4 सामान्यतः, एक रेल कर्मचारी अपनी पूरी सेवा के दौरान उस रेल या रेल प्रतिष्ठान में नियोजित रहेगा, जहां उसे पहली नियुक्ति पर तैनात किया गया है और उसके पास किसी अन्य रेल या किसी अन्य प्रतिष्ठान में स्थानांतरण के अधिकार का कोई दावा नहीं होगा। हालांकि, सेवा की अत्यावश्यकताओं में, रेल कर्मचारी को भारत के अंदर या बाहर किसी परियोजना सहित किसी अन्य विभाग या मंडल/इकाई या रेल या रेल प्रतिष्ठान में स्थानांतरित करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी के पास होगा।

13.5 जहां कहीं भी पद के लिए प्रशिक्षण निर्धारित किया गया है, वहां चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण से गुजरना होगा।

13.6 प्रारंभिक नियुक्ति पर वेतन स्तर का न्यूनतम वेतन और उस समय के अनुसार अन्य भत्ते होंगे। प्रशिक्षण अवधि के दौरान केवल स्टाइपेंड दिया जाएगा जैसा कि लागू हो। जहां भी आवश्यक हो, उम्मीदवारों को सुरक्षा जमा राशि देनी होगी और क्षतिपूर्ति बांड निष्पादित करना होगा।

13.7 अंतिम रूप से नियुक्त चयनित पुरुष उम्मीदवार प्रादेशिक सेना की रेलवे इंजीनियर्स यूनिट में सक्रिय सेवा के लिए उत्तरदायी हैं।

13.8 इस अधिसूचना में दर्शाई गई रिक्तियों की संख्या अस्थायी है और रेल प्रशासन की वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर घट सकती है या यहां तक कि शून्य भी हो सकती है। रेल प्रशासन को यह अधिकार भी है कि वह अपनी विवेकाधीनता पर अधिसूचित रिक्तियों को रद्द कर दे और ऐसा निर्णय सभी पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। अधिसूचित रिक्तियों के रद्द होने की स्थिति में, उम्मीदवारों द्वारा भुगतान किया गया परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

13.9 चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति उनके लिए आवश्यक चिकित्सा फिटनेस परीक्षण को पास करने, रेल प्रशासन द्वारा किए गए शैक्षिक और जाति प्रमाण पत्र के अंतिम सत्यापन और उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त/चरित्र के सत्यापन के अधीन होगी।

13.10 वे उम्मीदवार जो पहले से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सरकारी संगठनों में सेवा में हैं और उपरोक्त के लिए योग्य हैं, उन्हें प्रायोगिक प्रदर्शन के समय अपने नियोक्ता से "अनापतिप्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा।

13.11 भर्ती के सभी चरणों में उम्मीदवार का प्रवेश पूरी तरह से अस्थायी होगा, जो निर्धारित पात्रता शर्तों को संतुष्ट करने के अधीन होगा। उम्मीदवारों को कॉल लेटर/ई-एडमिट कार्ड जारी करने

का मात्र होना यह नहीं दर्शाता कि उनकी उम्मीदवारी को आरआरसीद्वारा अंततः स्वीकार किया गया है।

13.12 सांस्कृतिक कोटा के तहत भर्ती किए गए उम्मीदवारों को उनके द्वारा प्रस्तुत जानकारी और दस्तावेज किसी भी चरण में गलत/फर्जी पाए जाते हैं उनकी उम्मीदवारी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

13.13 पात्रता, आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति आदि से संबंधित सभी मामलों में भर्ती सेल/प्रशासन का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा और इस संबंध में कोई जांच या पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

13.14 जिन उम्मीदवारों को किसी भी आरआरबी/आरआरसी परीक्षाओं से जीवन भर के लिए निष्कासित किया गया है या जिन उम्मीदवारों को एक विशिष्ट अवधि के लिए निष्कासित किया गया है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, उन्हें इस अधिसूचना के जवाब में आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उनकी उम्मीदवारी भर्ती के किसी भी चरण में अस्वीकृत कर दी जाएगी।

13.15 उम्मीदवार के स्कैन किए गए हस्ताक्षर, चाहे अंग्रेजी में हों या हिंदी में, रनिंग हस्तलिखित होने चाहिए न कि **ब्लॉक/कैपिटल अक्षरों** में या **असंबद्ध अक्षरों** में। **लिखित परीक्षा/सीबीटी/टैब मोड**, दस्तावेज़ सत्यापन आदि के समय विभिन्न शैली या भाषा में हस्ताक्षर करने से उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

13.16 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार जो **लिखित परीक्षा/सीबीटी/टैब मोड** के लिए मुफ्त यात्रा प्राधिकरण (दूसरी श्रेणी रेलवे पास) की सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (संलग्नक'ग' के अनुसार) अपलोड करना चाहिए। आरक्षण प्राप्त करने और यात्रा करते समय, आरक्षण लिपिक और/या टिकट जांचने वाले कर्मचारी उम्मीदवार की वास्तविकता की सत्यापन के लिए मूल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र मांगेंगे तो प्रस्तुत करना होगा।

13.17 सेवारत रक्षा कार्मिक जिनकी अंतिम तारीख अर्थात **04/12/2026** के एक वर्ष के भीतर सेवामुक्त होने की संभावना हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं।

13.18 आरआरसी केवल सफल उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करता है। उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया का प्रबंधन मध्य रेल के प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी द्वारा किया जाता है।

14. इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर प्रतिबंध

14.1 परीक्षा आयोजित किए जाने वाले परिसर में मोबाइल फोन, पेजर, लैपटॉप, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस या कोई अन्य संचार उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं है। इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक/न्यायिक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भविष्य की परीक्षाओं से प्रतिबंध लगाना भी शामिल है।

14.2 उम्मीदवारों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन/पेजर सहित कोई भी प्रतिबंधित वस्तु न लाएं, क्योंकि सुरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

15. अमान्य आवेदन/अस्वीकृति

उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें; अन्यथा उनके आवेदन निम्नलिखित में से एक या अधिक कारणों से अस्वीकृत हो सकते हैं :

15.1 बिना स्कैन किए हस्ताक्षर/बड़े अक्षरों (CAPITAL LETTER) में स्कैन किए गए हस्ताक्षर या असंबद्ध (disjoint) हस्ताक्षर के साथ आवेदन।
15.2 बिना स्कैन की गई पासपोर्ट आकार फोटो के साथ आवेदन।
15.3 स्कैन की गई विकृत/छोटे आकार/पहचान में न आने वाली पासपोर्ट आकार फोटो के साथ आवेदन या टोपी/चश्मा पहने हुए।
15.4 आवेदन जमा करने की तिथि पर पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक और सांस्कृतिक योग्यता न रखना।
15.5 अधिक आयु या कम आयु, जन्मतिथि नहीं भरी गई हो या गलत भरी गई हो।
15.6 अभ्यर्थी का नाम वंचित सूची में हो।
15.7 एक ही पद के लिए अलग-अलग विवरण के साथ कई आवेदन।
15.8 बिना परीक्षा शुल्क के आवेदन, 500/- या 250/- रुपये, जहां भी लागू हो या कम शुल्क।
15.9 किसी भी अन्य प्रकार की अनियमितता पाई गई हो।

16. सामान्य शर्तें:

16.1 किसी भी रूप में प्रचार करने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
16.2 उम्मीदवारों को उचित प्राधिकारी से उचित प्रोफार्मा में जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा और सत्यापन के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों के सत्यापन पर ब्रोशर (भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित) के अध्याय 13 के अनुसार यह सख्त आवश्यक है।
16.3 ऑनलाइन आवेदन के समय, एससी/एसटी उम्मीदवारों को अनुलग्नक-'ग' में बताए अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। इसी तरह, ओबीसी उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा **01/04/2026** को या उसके बाद जारी ओबीसी नॉन-क्रीमी-लेयर प्रमाण पत्र केंद्र सरकार के प्रारूप में अपलोड करना होगा। प्रमाण-पत्रों में जाति, जारी करने की तारीख आदि का उल्लेख होना चाहिए तथा जारी करने वाले प्राधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर होने चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप अनुलग्नक-'ग' तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अनुलग्नक-'घ' के अनुसार होगा।

(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप आरआरसी वेबसाइट: www.rrccr.com पर भी उपलब्ध है)।

17. प्रतिरूपण/तथ्यों को छिपाने की चेतावनी

17.1 किसी भी उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में प्रतिरूपण का प्रयास नहीं करना चाहिए या किसी प्रतिरूपणकर्ता की सहायता नहीं लेनी चाहिए। ऐसे उम्मीदवारों को आरआरसी की सभी परीक्षाओं में बैठने से आजीवन वंचित कर दिया जाएगा साथ ही रेल में किसी भी नियुक्ति से वंचित कर दिया जाएगा। इसके अलावा, उम्मीदवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

17.2 कोई भी उम्मीदवार जो परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करता है या अपनी जगह किसी अन्य को परीक्षा में बैठने के लिए भेजता है, उसे आरआरबी/आरआरसी की सभी परीक्षाओं से आजीवन वंचित कर दिया जाएगा। उसे रेल में नियुक्ति पाने से भी वंचित कर दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है।

17.3 रेलवे भर्ती बोर्ड को कोई भी गलत सूचना देने या किसी भी स्तर पर किसी भी सूचना को जानबूझकर छिपाने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और रेलवे अथवा किसी अन्य सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए किसी भी चयन या परीक्षा और यदि नियुक्त किया जाता है, तो ऐसी

सेवा से वंचित कर दिया जाएगा और यदि वह नियुक्त हो भी जाता है, तो ऐसे उम्मीदवार की सेवा समाप्त की जा सकती है।

17.4 किसी उम्मीदवार द्वारा पात्रता प्राप्त करने और/या परीक्षा में बैठने के लिए निःशुल्क यात्रा सहित विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए तथ्यों को छिपाना या जाली प्रमाण-पत्र/जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना, उस विशेष भर्ती के लिए उसकी उम्मीदवारी को अस्वीकृत कर देगा जिसके लिए उसने आवेदन किया है। इसके अलावा, उसे देश भर में सभी आरआरबी/आरआरसी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं से 2 वर्ष की अवधि के लिए वंचित कर दिया जाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

17.5 उम्मीदवारको सभी आरआरबी/आरआरसी की परीक्षाओं से एक निश्चित अवधि/जीवन काल के लिए वंचित कर दिया जाएगा यदि (i) अभ्यर्थी विभिन्न समुदाय के साथ कई आवेदन प्रस्तुत करता है, (ii) अभ्यर्थी विभिन्न फोटो (चेहरों) के साथ कई आवेदन प्रस्तुत करता है और (iii) अभ्यर्थी विभिन्न दस्तावेजों के साथ कई आवेदन प्रस्तुत करता है।

18. अन्य मामलें

18.1 मौजूदा नियमों के अनुसार इस अधिसूचना के नियमों और शर्तों में कोई भी बाद में परिवर्तन मान्य होगा। आरआरसी को इस अधिसूचना के तहत भर्ती के नियमों और शर्तों में किसी भी बाद के परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन को शामिल करने का अधिकार है, जैसा कि आवश्यक और लागू हो।

8.2 उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे अपने डाउनलोड किए गए आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। भर्ती के अगले चरण में किसी भी दस्तावेज पर विचार नहीं किया जाएगा और आरआरसी/मध्य रेल के पास भर्ती के किसी भी चरण में पात्रता शर्त/शर्तों को पूरा न करने वाले किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार है।

18.3 रेल प्रशासन द्वारा उम्मीदवार का चयन उम्मीदवार को पद के लिए कोई निर्धारित अधिकार नहीं देता है।

18.4 यदि पते में कोई परिवर्तन होता है, तो उम्मीदवार को अपने हित में पुराने पते की जगह नया पता लिखने के लिए संबंधित डाकघर के साथ पत्राचार करना चाहिए।

18.5 पात्रता, आवेदनों की स्वीकृतिया अस्वीकृति, निःशुल्क पास जारी करना, गलत सूचना के लिए दंड, चयन का तरीका, प्रायोगिक प्रदर्शन का संचालन, चयनित उम्मीदवारों को पदों का आबंटन आदि से संबंधित सभी मामलों में रेलप्रशासन का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा तथा इस संबंध में रेल प्रशासन द्वारा किसी भी पूछ ताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

18.6 रेल प्रशासन ई-मेल या एसएमएस की डिलीवरी में किसी भी देरी के लिए जिम्मेदार नहीं है। उम्मीदवारों को अपने स्पैम ई-मेल फ़ोल्डर की भी जांच करनी चाहिए।

18.7 नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों को चयनित पद के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार अपेक्षित मेडिकल फिटनेस टेस्ट पास करना होगा।

18.8 रेल प्रशासन भर्ती के किसी भी चरण में अनजाने में हुई त्रुटिया चूक को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रखता है और गलत तरीके से नियुक्त उम्मीदवार को रेल सेवा से तुरंत हटाया जा सकता है।

19 विविध

19.1 अधिसूचना सभी अनुलग्नकों के साथ आरआरसी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी।

19.2 आरआरसी किसी भी स्तर पर अतिरिक्त परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। आरआरसी इस रोजगार सूचना में अधिसूचित किसी भी पद के लिए किसी भी स्तर पर किसी भी भर्ती प्रक्रिया के भाग या संपूर्ण को रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

19.3 पात्रता, ऑनलाइन आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, गलत सूचना के लिए दंड, निःशुल्क रेल पास जारी करना, चयन का तरीका, **लिखित परीक्षा/सीबीटी/टैब मोड** का संचालन, परीक्षा केंद्रों का आबंटन, चयन, चयनित उम्मीदवारों को पदों का आबंटन आदि से संबंधित सभी मामलों में आरआरसी का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा और इस संबंध में आरआरसी द्वारा किसी भी पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

19.4 आरआरसी किसी भी अनजानी त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

19.5 व्याख्या के बारे में किसी भी विवाद की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा।

19.6 उम्मीदवारको सलाह दी जाती है कि वे किसी भी परिवर्तन या सूचना/परीक्षा कार्यक्रम आदि के अद्यतन के लिए नियमित रूप से आरआरसी की वेबसाइट देखते रहें।

20. कानूनी मामले

इस रोजगार सूचना से उत्पन्न कोई भी कानूनी मामला केवल केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट), मुंबई के कानूनी अधिकार क्षेत्र में आएगा।

21. महत्वपूर्ण सलाह

रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, मध्य रेल ने अपनी ओर से कार्रवाई के लिए किसी भी एजेंट या कोचिंग सेंटर को नियुक्त नहीं किया है। उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि वे किसी भी व्यक्ति/एजेंसी द्वारा किए जा रहे ऐसे किसी भी दावे के बहकावे में न आएं।

नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए रेल के अधिकारियों से किसी भी रूप में संपर्क करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सार्वजनिक सेवा में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया एक गंभीर मामला है। आवेदकों से अपेक्षा की जाती है कि वे इसे पूरी गंभीरता से लें। आवेदकों द्वारा गलत जानकारी देकर या अश्लील/आपत्तिजनक फोटो या सामग्री अपलोड करके प्रक्रिया में हेरफेर करने के किसी भी प्रयास पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और वे अन्य प्रशासनिक कार्रवाई के अलावा आपराधिक कार्रवाई के लिए भी उत्तरदायी होंगे।

अध्यक्ष
रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ,
मध्य रेल

<u>दस्तावेज़ संलग्न : अनुलग्नक 'क', 'ख', 'ग' और 'घ'</u>

अनुलग्नक 'क'

अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों के लिए घोषणा

यह घोषित किया जाता है कि मै..... . . धर्म से संबंधित हूं जो अल्पसंख्यक समुदाय है। इसलिए, मैं परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट चाहता हूं। मैं दस्तावेजों के सत्यापन के समय गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर "अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा" हलफनामा प्रस्तुत करने का वचन देता हूं, यदि मैं उपयुक्त पाया जाता हूं।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

नाम:

दिनांक:

स्थान: _____

अनुलग्नक-'ख'

रेल भर्ती सेल/मध्य रेल की दिनांक 05.11.2026 की रोजगार सूचना संख्या आरआरसी/सीआर/03/2026 के तहत प्रायोगिक प्रदर्शन/दस्तावेज़ सत्यापन के समय आर्थिक रूप से पिछड़ेवर्ग (ईबीसी) के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जानेवाली परीक्षा शुल्क की छूट के लिए प्रोफार्मा।

1. अभ्यर्थी का नाम :

2. पिता/पति का नाम :

3. उम्र :

4. आवासीय पता :

5. वार्षिक पारिवारिक आय :

(अंकों और शब्दों में)

6. जारी करने की तिथि :

7. जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर :

8. जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम :

9. जारीकर्ता प्राधिकारी की मोहर :

अनुलग्नक-'ग'

<u>अनुसूचितजाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र का प्रारूप</u>

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचितजन जाति केअभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमणपत्र का प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी_____पुत्र/पुत्री निवासी ग्राम/कस्बा_____जिला/संभाग_____राज्य/संघ राज्यक्षेत्र_____के जाति/जनजाति से संबंधित है जो निम्नलुखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त हैः-

संविधान (अनुसूचितजाति/) आदेश, 1950
संविधान (अनुसूचित जनजाति/) आदेश, 1950
संविधान (अनुसूचितजाति/) संघ राज्यक्षेत्र आदेश, 1951
संविधान (अनुसूचित जनजाति/) संघ राज्यक्षेत्र आदेश, 1951

अनुसूचितजाति एवंअनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश, 1956 बम्बई पुस्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचितजाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम1976 द्वारा यथासंशोधित।

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचितजाति आदेश, 1956
संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 अनुसूचितजाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन अधिनियम), 1976* द्वारासंशोधित।
संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचितजाति आदेश 1962।
संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश 1962 @
संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचितजाति आदेश 1964 @
संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तरप्रदेश) आदेश, 1967 @
संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचितजाति आदेश, 1968 @
संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968 @
संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970 @
संविधान (सिक्किम) अनुसूचितजाति आदेश 1978 @
संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश 1978 @
संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश 1989 @
संविधान (अनुसूचितजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990 @
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश 1991 @
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरासंशोधन) अधिनियम, 1991 @
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश 1996
अनुसूचितजाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002।
संविधान (अनुसूचितजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002।
संविधान (अनुसूचितजाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम2002।
संविधान (अनुसूचितजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 2007।

% 2. अनुसूचितजाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के मामले में लागू, जो राज्य केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन से स्थानांतरित हो गए हैं।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी*_____केपिता/माता_____श्री/श्रीमती निवासी_____ग्राम/कस्बा*_____जिला/संभाग_____राज्य/संघराज्य क्षेत्र*_____को जारी कि गए अनुसूचितजाति/अनुसूचित जनजातिप्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है, जो
जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं जो दिनांक द्वारा जारी राज्य/संघराज्य क्षेत्र में अनुसूचितजाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

श्री/श्रीमती/कुमारी_____और/या*उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा_____जिला/संभाग*_____राज्य/संघराज्यक्षेत्र_____ _____में रहता है।

हस्ताक्षर
*पदनाम
(कार्यालय की मुहर के साथ)

स्थान:
दिनांक:
*कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं हैं
@ कृपया विशिष्ट राष्ट्रपति आदेश उद्धृत करें
% जो पैराग्राफ लागू नहीं है उसे हटा दें।

टिप्पणी: यहां प्रयुक्त सामान्यतः निवास (ओं) शब्द का वही अर्थ होगा जो लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

***जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सशक्त प्राधिकारियों की सूची**:
(i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/उपायुक्त/उपकलेक्टर/प्रथम श्रेणी व जीफा मजिस्ट्रेट/उप-विभागीय मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मेजिस्ट्रेट।
(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे न हों।
(iv)उस क्षेत्र के उप-विभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और / या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।
टिप्पणी: तमिलनाडु राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को केवल राजस्व प्रभागीयजाति अधिकारी से प्रमाण पत्र जमा करना चाहिए।

अनुलग्नक-'घ'

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करनेवाले
<u>अन्यपिछड़ावर्ग (ओबीसी)</u> केअभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमणपत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी_____ के पिता/माताश्री/श्रीमती_____
ग्राम/कस्बा_____जिला/संभाग_____राज्य के समुदाय की (उप-जातिदर्शाएं) से संबंध रखते हैं, इसे अन्यपिछड़ा वर्ग केअधीन केंद्रीय सूची में शामिल किया गया है।

1) संकल्पसंख्या12011/68/93 - बीसीसी(सी) दिनांक10 सितंबर1993, भारत के राजपत्र में प्रकाशित- असाधारण- भाग1 खंड1, संख्या 186 दिनांक13 सितंबर1993।
2) संकल्पसंख्या12011/9/94 - बीसीसी दिनांक19 अक्टूबर1994, भारत के राजपत्र- असाधारण भाग1 खंड1, संख्या163 दिनांक20 अक्टूबर1994 मेंप्रकाशित।
3) संकल्प संख्या12011 / 7 / 95 - बीसीसी दिनांक24 मई1995, भारत के राजपत्र- असाधारण- भाग1 खंड1, संख्या88 दिनांक25 मई1995 मेंप्रकाशित।
4) संकल्पसंख्या12011 / 44 / 96 - बीसीसी दिनांक6 दिसंबर1996, भारत के राजपत्र- असाधारण- भाग1 खंड1, संख्या210 दिनांक11 दिसंबर1996 मेंप्रकाशित।
5) संकल्प संख्या12011/68/93 - बीसीसी भारत के राजपत्र में प्रकाशित- असाधारण संख्या 129 दिनांक8 जुलाई 1997।
6) संकल्पसंख्या12011/12/96 - बीसीसी भारत के राजपत्र में प्रकाशित- असाधारण संख्या 164 दिनांक1 सितंबर1997।
7) संकल्पसंख्या12011/99/94 - बीसीसी भारत के राजपत्र में प्रकाशित- असाधारण संख्या 236 दिनांक 11 दिसंबर1997।
8) संकल्पसंख्या 12011/13/97 - बीसीसी भारत के राजपत्र में प्रकाशित- असाधारण संख्या 239 दिनांक 3 दिसंबर 1997।
9) संकल्प संख्या 12011/12/96 - बीसीसी भारत के राजपत्र में प्रकाशित- असाधारण संख्या 166 दिनांक 3 अगस्त 1998।
10) संकल्प संख्या 12011/68/93 - बीसीसी भारत के राजपत्र में प्रकाशित- असाधारण संख्या 171 दिनांक 6 अगस्त 1998।
11) संकल्प संख्या 12011/68/98 - बीसीसी भारत के राजपत्र में प्रकाशित- असाधारण संख्या 241 दिनांक 27 अक्टूबर 1999।
12) संकल्प संख्या 12011/88/98 - बीसीसी भारत के राजपत्र में प्रकाशित- असाधारण संख्या 270 दिनांक 6 दिसंबर 1999।
13) संकल्प संख्या 12011/36/99 - बीसीसी भारत के राजपत्र- असाधारण संख्या 71 दिनांक 4 अप्रैल 2000 में प्रकाशित।

श्री/श्रीमती/कुमारीऔर/या_____उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा_____ जिला/संभाग_____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में रहता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार की अनुसूची के कॉलम 3 (क्रीमीलेयर) में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमीलेयर) से संबंधित नहीं है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8/9/1993 के कार्यालय ज्ञापन सं.

36012/22/93-स्थापना (एससीटी) और भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 09.03.2024 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36033/3/2004/स्थापना (आरईएस) के द्वारा संशोधित।

*कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं हैं

जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त
आदि (कार्यालय की मुहर के साथ)

स्थान:
दिनांक:

*कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं हैं।
क. प्रयुक्त शब्द "आमतौर पर निवास करते हैं" का वही अर्थ होगा जो लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।
ख. जहां प्रमाणपत्र केंद्र सरकार या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी किए जाते हैं, वे उसी रूप में होने चाहिए लेकिन जिला मजिस्ट्रेट या उप-अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने चाहिए। आयुक्त (राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्र और जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त द्वारा सत्यापित प्रमाणपत्र पर्याप्त नहीं हैं)
ग. केवल अधिकारियों से प्राप्त ओबीसी प्रमाणपत्र ही स्वीकार किया जाएगा:-

***जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सशक्त प्राधिकारियों की सूची**:

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/उपायुक्त/उपकलेक्टर/प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट/उप-विभागीय मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट के पद से नीचे न हों)/ उप-विभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मेजिस्ट्रेट
(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे न हों।
(iv)उस क्षेत्र के उप-विभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।